राज्य सभा

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.56470-56477] **सोमवार**, 20 **मार्च**, 2017

सं.56470 *समिति अनुभाग (अधीनस्थ विधान)*

10 मार्च, 2017 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान
राज्य सभा के पटल पर रखे गए कानूनी आदेश
(242वां सत्र)

विधान की प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित निम्नलिखित कानूनी नियम तथा आदेश 10 मार्च, 2017 को समाप्त हुए सप्ताह की अवधि के दौरान राज्य सभा के पटल पर रखे गए। ये आदेश सभा पटल पर एक या दो या उससे अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में पूरी होने वाली 30 दिनों की अवधि तक रहेंगे। सदस्य उस सत्र, जिसमें सभा पटल पर रखने की 30 दिन की अवधि पूरी हो गई हो, के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व संशोधन/निरसन हेतु प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं।

क्र. सं.	नियम/आदेश की संख्या तथा तारीख	संक्षिप्त विषय	सभा पटल पर रखे जाने की तारीख	कानून का उपबंध, जिसके अधीन सभा पटल पर रखा गया
1	2	3	4	5
		कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)		
1.	सा.का.नि. 1154(अ), दिनांक 19 दिसम्बर, 2016.	चिरौंजी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमावली, 2016.	10.03.2017	कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 (2).
2.	का.आ. 264(अ), दिनांक 27 जनवरी, 2017.	पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2017.	10.03.2017	नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4घ (2).

3.	का.आ. 364(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2017.	पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2017.	10.03.2017	नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4घ (2).

सं.56471 *प्रशिक्षण प्रकोष्ठ*

दिनांक 21 मार्च, 2017 को म. प. 6.15 बजे मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध में "कार्यरत राज्य सभा" के तीसरे संस्करण का विमोचन

'कार्यरत राज्य सभा' प्रक्रियाओं, परिपाटियों, परम्पराओं, पूर्वोदाहरणों, विनिर्णयों और निदेशों का एक संकलन है जो राज्य सभा की कार्यप्रणाली की बारीकियों को समझने में सदस्यों का मार्गदर्शन और सहायता करता है। इस पुस्तक का प्रकाशन सर्वप्रथम वर्ष 1996 में किया गया था और इसका दूसरा संस्करण वर्ष 2006 में प्रकाशित हुआ था।

2. अब इस पुस्तक का तीसरा संस्करण तैयार है और इसका विमोचन राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा मंगलवार, 21 मार्च, 2017 को म.प. 6.15 बजे मुख्य समिति कक्ष, भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में किया जाएगा।

3. निमंत्रण कार्ड तथा कार्यक्रम का ब्यौरा राज्य सभा के सदस्यों को पहले ही जारी कर दिया गया है। सदस्यों से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में भाग लें।

सं.56472 *विधायी अनुभाग*

नियम 176 के अधीन चर्चा

चुनाव सुधार विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए राज्य सभा सदस्य श्री मुकुल राय, श्री के. टी. एस. तुलसी, श्री जयराम रमेश, श्री आनन्द शर्मा, श्री डी. राजा, श्री तपन कुमार सेन, श्री नरेश अग्रवाल, श्रीमती रजनी पाटिल और श्रीमती वंदना चव्हाण से प्राप्त सूचनाएं राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के नियम 177 के अधीन बुधवार, 22 मार्च, 2017 के लिए अनंतिम रूप से स्वीकृत कर ली गई हैं।

सं.56473 *विधायी अनुभाग*

नियम 176 के अधीन चर्चा का स्थगन

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 'आधार - इसका कार्यान्वयन और प्रभाव' विषय पर बुधवार, 22 मार्च, 2017 के लिए निर्धारित अल्पकालिक चर्चा स्थगित कर दी गई है।

सं.56474 *विधेयक कार्यालय*

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2016

(राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में)

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल माधव दवे द्वारा राज्य सभा के महासचिव को प्रेषित अ.शा.सं.33-16/2016-एचएसएमडी, दिनांक 10 मार्च, 2017)

"राष्ट्रपति ने डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, माननीय संसद सदस्य द्वारा प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2016 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड(3) के अधीन राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक पर विचार किए जाने की सिफारिश की है।"

सं.56475 *विधेयक कार्यालय*

श्री विवेक गुप्ता, संसद सदस्य द्वारा संविधान संशोधन विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 275क और 371ट का अंत:स्थापन)

(राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में)

(वित्त मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्य सभा के महासचिव को प्रेषित अ.शा.सं.42(77)पीएफ-1/2017, दिनांक 16 मार्च, 2017)

"राष्ट्रपति ने नए अनुच्छेद 275क और 371ट को अंतःस्थापित करने के लिए श्री विवेक गुप्ता, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) द्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक, 2017 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर

संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड(3) के अधीन राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक पर विचार किए जाने की सिफारिश की है।"

सं.56476 *विधेयक कार्यालय*

श्री विवेक गुप्ता, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016

(राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में)

(विधि और न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी. पी. चौधरी द्वारा राज्य सभा के महासचिव को प्रेषित पत्र सं. एच. 11018/3/2017-विधायी II, दिनांक 9 मार्च, 2017)

"राष्ट्रपति ने प्रस्तावित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड(3) के अधीन राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक पर विचार किए जाने की सिफारिश की है।"

सं.56477 *प्रश्न शाखा*

प्रश्नों की सूचनाओं के बैलट का परिणाम

राज्य सभा की 5 अप्रैल, 2017 को होने वाली बैठक के लिए 20 मार्च, 2017 को म.प. 3.00 बजे तक प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के संबंध में 20 मार्च, 2017 को अपर सचिव (क्यू.) की उपस्थिति में बैलट कराया गया।

सदस्यों की सूचना हेतु तारांकित प्रश्नों के बैलट के परिणाम को सूचना कार्यालय में रखा गया है और बाहरी लॉबी में सूचना पट्ट पर भी लगाया गया है।

शमशेर के. शरीफ,
महासचिव।